संख्या- 12/2021/164/76-4-2021-2/2(10)/2017

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक 27 जनवरी2021

विषयः- सूक्ष्म सिंचाई पद्धति एवं गैर परम्परागत ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के दृष्टिगत उथले, मध्यम तथा गहरे नलकूपों की योजनाओं को सम्मिलीन कर ''मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना' का क्रियान्वयन।

महोदय,

प्रदेश में संचालित उथले (निःशुल्क बोरिंग), मध्यम गहरे एवं गहरे नलकूपों में सूक्ष्म सिंचाई पद्धति एवं गैर परम्परागत ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के दृष्टिगत विभाग स्तर पर उक्त योजनाओं को समेकित रूप से सम्मिलित करते हुए सम्यकविचारोपरान्त एक नई योजना ''मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना' ' (उथले, मध्यम गहरे नलकूप तथा गहरे नलकूप) के क्रियान्वयन का निर्णय लिया गया है।

2- मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना का क्रियान्वयन निम्नानुसार किया जायेगा:-

(1) उथले नलकूपः-

(अ) इस योजना के अन्तर्गत 30 मीटर गहराई तक की 110 एम.एम.(4इंच) व्यास की बोरिंग/नलकूप निर्मित किया जायेगा। बोरिंगो का ऊर्जीकरण यथासम्भव 'प्रधानमंत्री कुसुम योजना' से किया जायेगा। 'प्रधानमंत्री कुसुम योजना' हेतु पंजीकृत कृषकों को प्रस्तावित योजना में प्राथमिकता दी जायेगी। ऊर्जीकृत उथले नलकूप का मानक सिंचन क्षमता 05 हेक्टेयर तथा बगैर ऊर्जीकृत बोरिंग की मानक सिंचन क्षमता 0.5 हेक्टेयर है। इस योजना का वित्त पोषण जिला योजनान्तर्गत राज्य संसाधनों से किया जायेगा।

(ब) जल के अपव्यय को रोकने हेतु उथले नलकूप योजना पर यथासम्भव सूक्ष्म सिंचाई पद्धति स्थापित किया जायेगा। वैसे कृषकों, जिनके उथले नलकूप पर सूक्ष्म सिंचाई पद्धति स्थापित करना सम्भव नहीं है वैसे उथले नलकूपों के जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के दृष्टिगत 90/110 एम0एम0मिलीमीटर व्यास का 30 से 60 मीटर एच0डी0पी0ई0 पाइप की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 3000.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

अनुदान भी देय होगा। यह अनुदान सीमा सभी श्रेणी के लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिए होगी।

(स) इस योजना में पम्पसेट स्थापना एवं एच.डी.पी.ई. पाइप वितरण की बाध्यता नहीं रहेगी। बोरिंग के भौतिक लक्ष्य उपलब्ध धन एवं कृषकों के मांग के अनुरूप परिवर्तित होगें तथा जल वितरण प्रणाली एवं ऊर्जीकरण के अवशेष धनराशि से अतिरिक्त बोरिंग करायी जा सकेंगी। उक्त योजना के अन्तर्गत ''ऐसे कृषकों को जो उद्यान विभाग/कृषि विभाग द्वारा संचालित सूक्ष्म सिंचाई पद्धति (ड्रिप/स्प्रिंकलर) सिंचाई प्रणाली/प्रधानमंत्री कुसुम योजना का लाभ लेने हेतु कृषि विभाग के पोर्टल HTTP://UPAGRIPARDARSHI.GOV.IN/WWW.UPAGRICULTURE.COM अथवा यथा संशोधित पोर्टल पर पंजीयन करायेगे एवं लाभ लेगें, उन कृषकों को बोरिंग कराने में वरीयता प्रदान की जायेगी।''

- उथले, मध्यम तथा गहरे नलकूपों हेतु कृषकों का चयन 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' में पंजीकृत कृषकों को ही अनुमन्य होगा।
- यदि किसान उक्त योजना में पंजीकृत नहीं है तो लाभार्थी कृषकों का पंजीकरण पारदर्शी किसान सेवा पोर्टल UPAGRIPARDARSHI.GOV.IN पर अपलोड कराना होगा।
- पारंपरिक बोरिंग कर सामान्य पम्पसेट अधिष्ठान पद्धति के स्थान पर सोलर पम्प आधारित सिंचाई प्रणाली हेतु आवेदन करने वाले लाभार्थियों को प्राथमिकता प्रदान करते हुए उनके नलकूपों के ऊर्जीकरण का कार्य प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अन्तर्गत किया जायेगा।

(द) योजना के अन्तर्गत निर्मित उथले नलकूपों हेतु पात्रता एवं अनुदान निम्नानुसार अनुमन्य होगाः-

क्र.सं.	कृषक की श्रेणी	बोरिंग पर अनुदान (रू0प्रति बोरिंग)	पम्पसेट पर अनुदान (रू0प्रति पम्पसेट) यदि आवश्यक हो।	जल वितरण प्रणाली (एच.डी.पी.ई. पाइप) पर अनुदान	कुल औसत अनुमन्य अनुदान (रू0 प्रति बोरिंग)	सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली पर अनुदान (रू0 प्रति हेक्टयर की दर से)
1-	सामान्य श्रेणी के लघु कृषक (2.5 एकड़ से अधिक 5.00 एकड़ तक)	5000/-	4,500/-	3,000/- अधिकतम	6425/- (5000+675 +750)	उद्यान/कृषि विभाग द्वारा संचालित योजना में देय प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान देय होगा।
2-	सामान्य श्रेणी के सीमान्त कृषक (2.5 एकड़ तक)	7000/-	6,000/-	3,000/- अधिकतम	8650/- (7000+900 +750)	
3-	अनुसूचित जाति/ जनजाति के लघु एवं सीमान्त कृषक	10,000/-	9,000/-	3,000/- अधिकतम	12100/- (10000+1350+750)	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(य) योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगीः-

(I) चालू वित्तीय वर्ष से इस योजना के अन्तर्गत पूर्व में चयनित लाभार्थियों की बोरिंग कार्य तत्काल प्रारम्भ करा दिये जायेगें तथा लक्ष्यों के सापेक्ष 25 प्रतिशत अधिक लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा की खुली बैठक में एक माह में करा लिया जाएगा। जनपदवार एवं माहवार भौतिक लक्ष्य पृथक से जारी किये जायेगें।

(II) उथले नलकूपों हेतु प्रत्येक वर्ष में चयनित 'सांसद आदर्श ग्राम योजना' के अन्तर्गत चयनित ग्रामों को योजनान्तर्गत प्राथमिकता दी जायेगी तथा इन ग्रामों को उथले नलकूपों के निर्धारित मानकों के अनुसार शीर्ष प्राथमिकता पर संतृप्त किया जायेगा। इस हेतु आवश्यक धनराशि का मात्राकरण उथले नलकूपों हेतु आवंटित धनराशि से ही सुनिश्चित किया जाएगा ताकि धनराशि के कारण सांसद आदर्श ग्रामों के कार्य अवरूद्ध न हो।

(III) उथले नलकूपों के प्रत्येक लाभार्थी की पहचान सुनिश्चित करने हेतु लाभार्थी का फोटोग्राफ, आधार कार्ड एवं मोबाईल नम्बर की सूचना संरक्षित की जायेगी।

(IV) योजनान्तर्गत सभी बोरिंगों की अनिवार्य रूप से जियो टैगिंग करायी जायेगी।

(2) मध्यम गहरे नलकूपः-

(अ) प्रदेश के 31 से 60 मीटर गहराई वाले जलग्राही क्षेत्रों में मध्यम गहरे नलकूप योजना क्रियान्वित की जायेगी। योजना में सभी जाति/श्रेणी के कृषक पात्र होगें। उक्त योजना में 150 मिलीमीटर/175 मिलीमीटर/200 मिलीमीटर व्यास के पी.वी.सी. पाइप द्वारा बोरिंग करायी जायेगी। वैसे कठिन स्ट्रेटा वाले क्षेत्र जहां पी0वी0सी0 पाइप से बोरिंग कराया जाना सम्भव नहीं है, वैसे क्षेत्रों में एम0एस0 पाइप द्वारा बोरिंग करायी जायेगी। मध्यम गहरे नलकूप से सृजित सिंचन क्षमता का मानक प्रति नलकूप 10 हेक्टयर है तथा इस योजना का वित्त पोषण जिला योजनान्तर्गत राज्य संसाधनों से किया जायेगा।

(ब) योजनान्तर्गत निर्मित नलकूपों का ऊर्जीकरण यथासंभव 'प्रधानमंत्री कुसुम योजना' से कराने पर विशेष बल दिया जायेगा। ऐसे क्षेत्र जहां 'प्रधानमंत्री कुसुम योजना' से ऊर्जीकरण सम्भव नहीं है, वैसे क्षेत्रों की बोरिंगों का ऊर्जीकरण विद्युत के माध्यम से ऊर्जीकरण हेतु उपलब्ध अनुदान से किया जायेगा। उसके उपरान्त भी यदि सभी लाभार्थियों द्वारा ऊर्जीकरण न कराये जाने की स्थिति आती है तो प्रत्येक वर्ष माह दिसम्बर के अन्त तक लक्ष्यों में संशोधन का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाएगा। योजना के अन्तर्गत ''ऐसे कृषकों को जो उद्यान विभाग/कृषि विभाग द्वारा संचालित सूक्ष्म सिंचाई पद्धति (ड्रिप/स्प्रिंकलर) सिंचाई प्रणाली/प्रधानमंत्री कुसुम योजना का लाभ लेने हेतु कृषि विभाग के पोर्टल HTTP://UPAGRIPARDARSHI.GOV.IN/ WWW.UPAGRICULTURE.COM अथवा यथा संशोधित पोर्टल पर पंजीयन करायेगे एवं लाभ लेगें, उन कृषकों को बोरिंग कार्य हेतु वरीयता प्रदान की जायेगी।''

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

- उथले, मध्यम तथा गहरे नलकूपों हेतु कृषकों का चयन 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' में पंजीकृत कृषकों को ही अनुमन्य होगा।
- यदि किसान उक्त योजना में पंजीकृत नहीं है तो लाभार्थी कृषकों का पंजीकरण पारदर्शी किसान सेवा पोर्टल UPAGRIPARDARSHI.GOV.IN पर अपलोड कराना होगा।
- पारंपरिक बोरिंग कर सामान्य पम्पसेट अधिष्ठान पद्धति के स्थान पर सोलर पम्प आधारित सिंचाई प्रणाली हेतु आवेदन करने वाले लाभार्थियों को प्राथमिकता प्रदान करते हुए उनके नलकूपों के ऊर्जीकरण का कार्य प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अन्तर्गत किया जायेगा।

(स) योजना के अन्तर्गत निर्मित नलकूपों के ऊर्जीकरण की समस्या के समाधान हेतु उक्त वर्णित अनुदान के अतिरिक्त प्रत्येक नलकूप पर ऊर्जीकरण हेतु उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन की प्रचलित दर पर प्रति नलकूप 0.68 लाख अथवा वास्तविक व्यय, जो भी कम हो, अनुमन्य होगा। यह धनराशि नलकूप का छिद्रण हो जाने के पश्चात् विभाग द्वारा कारपोरेशन को उपलब्ध करा दी जाएगी। जिससे परियोजना का अभीष्ट लाभ प्राप्त हो सकेगा। इस प्रकार प्रति मध्यम गहरे नलकूप कुल रू. 1.53 लाख का अनुदान अनुमन्य होगा।

(द) योजना के अन्तर्गत निर्मित मध्यम गहरे नलकूपों हेतु पात्रता एवं अनुदान निम्नानुसार अनुमन्य होगाः-

कृषक की श्रेणी	बोरिंग, पम्प, पम्प हाउस इत्यादि पर	जल वितरण प्रणाली (एच.डी.पी.ई.पाइप)	विद्युतीकरण हेतु	कुल अनुमन्य अनुदान	सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली पर अनुदान (रू0प्रति हेक्टयर की दर से
समस्त श्रेणी के कृषक	रू0 75,000/-	रू0 10,000/-	रू0 68,000/-	रू0 1,53,000/-	उद्यान/कृषि विभाग द्वारा संचालित योजना में देय प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान देय होगा।

(य) उक्त योजना के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगीः-

(I) उक्त योजना के प्रत्येक लाभार्थी की पहचान सुनिश्चित करने हेतु लाभार्थी का फोटोग्राफ, आधार कार्ड एवं मोबाईल नम्बर की सूचना रखी जायेगी।

(II) योजना में नलकूप के ऊर्जीकरण हेतु उपलब्ध धनराशि से यदि कोई लाभार्थी, पूर्व से विद्युत कनेक्शन होने के कारण अथवा विद्युत विभाग की सामान्य योजना से विद्युतीकरण कराये जाने के कारण इस योजना से ऊर्जीकरण का लाभ प्राप्त नहीं करना चाहता है तो उनकी सूची एवं अवशेष धनराशि से अतिरिक्त मध्यम गहरे नलकूप निर्मित किये जाने हेतु चयनित लाभार्थीवार सूची मुख्य अभियन्ता को प्रत्येक वर्ष के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

दिसम्बर के अन्त तक उपलब्ध कराई जायेगी। शासन की स्वीकृति के उपरान्त अतिरिक्त मध्यम गहरे नलकूपों का कार्य कराया जायेगा।

(III) उक्त योजनान्तर्गत सभी नलकूपों की जियो टैगिंग अनिवार्य रूप से करायी जायेगी।

(3) गहरे नलकूपः-

(अ) प्रदेश के 61 से 90 मीटर गहराई वाले जलग्राही क्षेत्रों में गहरे नलकूप की योजना क्रियान्वित की जायेगी। योजना में सभी जाति/श्रेणी के कृषक पात्र होगें। उक्त योजना में 150एम.एम./175एम.एम./200एम.एम. व्यास के पी.वी.सी./एम.एस. पाइप द्वारा बोरिंग करायी जायेगी। गहरे नलकूप से सृजित सिंचन क्षमता का मानक प्रति नलकूप 12 हेक्टेयर है तथा इस योजना का वित्त पोषण जिला योजनान्तर्गत राज्य संसाधनों से किया जायेगा।

(ब) योजनान्तर्गत निर्मित नलकूपों का ऊर्जीकरण यथासंभव 'प्रधानमंत्री कुसुम योजना' से कराने पर विशेष बल दिया जायेगा। ऐसे क्षेत्र जहां 'प्रधानमंत्री कुसुम योजना' से ऊर्जीकरण सम्भव नहीं है, वैसे क्षेत्रों की बोरिंगों का ऊर्जीकरण विद्युत के माध्यम से ऊर्जीकरण हेतु उपलब्ध अनुदान से किया जायेगा। उसके उपरान्त भी यदि सभी लाभार्थियों द्वारा ऊर्जीकरण न कराये जाने की स्थिति आती है तो समय रहते माह दिसम्बर के अन्त तक लक्ष्यों में संशोधन का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाएगा। योजना के अन्तर्गत ''ऐसे कृषकों को जो उद्यान विभाग/कृषि विभाग द्वारा संचालित सूक्ष्म सिंचाई पद्धति (ड्रिप/स्प्रिंकलर) सिंचाई प्रणाली/प्रधानमंत्री कुसुम योजना का लाभ लेने हेतु कृषि विभाग के पोर्टल HTTP://UPAGRIPARDARSHI.GOV.IN/ WWW.UPAGRICULTURE.COM अथवा यथा संशोधित पोर्टल पर पंजीयन करायेगे एवं लाभ लेगें, उन कृषकों को बोरिंग कार्य हेतु वरीयता प्रदान की जायेगी।''

- उथले, मध्यम तथा गहरे नलकूपों हेतु कृषकों का चयन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पंजीकृत कृषकों को ही अनुमन्य होगा।
- यदि किसान उक्त योजना में पंजीकृत नहीं है तो लाभार्थी कृषकों का पंजीकरण पारदर्शी किसान सेवा पोर्टल UPAGRIPARDARSHI.GOV.IN पर अपलोड कराना होगा।
- पारंपरिक बोरिंग कर सामान्य पम्पसेट अधिष्ठान पद्धति के स्थान पर सोलर पम्प आधारित सिंचाई प्रणाली हेतु आवेदन करने वाले लाभार्थियों को प्राथमिकता प्रदान करते हुए उनके नलकूपों के ऊर्जीकरण का कार्य प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अन्तर्गत किया जायेगा।

(स) योजना के अन्तर्गत निर्मित नलकूपों के ऊर्जीकरण की समस्या के समाधान हेतु उक्त वर्णित अनुदान के अतिरिक्त प्रत्येक नलकूप पर ऊर्जीकरण हेतु उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन की प्रचलित दर पर प्रति नलकूप रू. 0.68 लाख अथवा वास्तविक व्यय, जो भी कम हो, अनुमन्य होगा। यह धनराशि नलकूप का छिद्रण हो जाने के पश्चात् नलकूप के ऊर्जीकरण हेतु लाभार्थी के नाम सहित उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन को

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

उपलब्ध करायी जायेगी। इस प्रकार प्रति गहरे नलकूप कुल 1.78 लाख का अनुदान अनुमन्य होगा।

(द) योजना के अन्तर्गत निर्मित गहरे नलकूपों हेतु पात्रता एवं अनुदान निम्नानुसार अनुमन्य होगाः-

क्र.सं.	कृषक की श्रेणी	बोरिंग, पम्प, पम्पहाउस इत्यादि पर	जल वितरण प्रणाली (एच.डी.पी.ई. पाइप)	विद्युतीकरण हेतु	कुल अनुमन्य अनुदान	सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली पर अनुदान (रू0प्रति हेक्टयर की दर से)
1-	समस्त श्रेणी के कृषक	रू. 1,00,000/-	रू. 10,000/-	रू. 68,000/-	रू. 1,78,000/-	उद्यान/कृषि विभाग द्वारा संचालित योजना में देय प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान देय होगा।

(य) योजना के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगीः-

(I) योजना के प्रत्येक लाभार्थी की पहचान सुनिश्चित करने हेतु लाभार्थी का फोटोग्राफ, आधार कार्ड एवं मोबाईल नम्बर की सूचना रखी जायेगी।

(II) योजना में नलकूप के ऊर्जीकरण हेतु उपलब्ध धनराशि से यदि कोई लाभार्थी, पूर्व से विद्युत कनेक्शन होने के कारण अथवा विद्युत विभाग की सामान्य योजना से विद्युतीकरण कराये जाने के कारण इस योजना से ऊर्जीकरण का लाभ प्राप्त नहीं करना चाहता है तो उनकी सूची एवं बची हुई धनराशि से अतिरिक्त गहरे नलकूप निर्मित किये जाने हेतु चयनित लाभार्थीवार सूची मुख्य अभियन्ता को प्रत्येक वर्ष के दिसम्बर के अन्त तक उपलब्ध करायी जायेगी। शासन की स्वीकृति के उपरान्त अतिरिक्त गहरे नलकूपों का कार्य कराया जायेगा।

(III) उक्त योजनान्तर्गत सभी नलकूपों की जियो टैगिंग करायी जायेगी।

3- सामग्री क्रय की व्यवस्थाः-

''मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना'' के अन्तर्गत विभाग द्वारा मध्यम गहरी बोरिंग, गहरी बोरिंग एवं जल वितरण प्रणाली हेतु क्रय की जाने वाली सामग्रियों को प्राप्त बजट एवं कृषकों द्वारा जमा धनराशि से यथासम्भव जेम पोर्टल के माध्यम से खण्ड स्तर पर वित्तीय नियमों एवं सामग्री क्रय से सम्बन्धित सुसंगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था के अनुसार क्रय किया जायेगा, जो सामग्री जेम पोर्टल पर उपलब्ध नहीं होगी, उनका क्रय शासनादेश सं0-11/2017/523/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016 दिनांक 23.08.2017 के बिन्दु सं0-3 के प्रस्तर-1 के अनुसार, उ0प्र0 प्रोक्योरमेंट मैनुअल के अनुसार ई-टेण्डर एवं अन्य भण्डार क्रय नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- जेम पोर्टल से सामग्री क्रय करने के दिशा-निर्देश एवं योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु गाइड लाईन सहित सम्बन्धित रूपपत्र मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग द्वारा पृथक से निर्गत किये जायेगें।

कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिशिचत करायी जाये।

भवदीय,

(अनुराग श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव

संख्या /76-4-2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, जल शक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि/ वित्त/ उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5- विशेष सचिव, गोपन अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उनके पत्र संख्या-4/2/1/2021-सी0एक्स0(1) दिनांक 25 जनवरी 2021के क्रम में।
6- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8- निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0।
9- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10- अधीक्षण अभियन्ता/निदेशक (प्रशिक्षण), लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
11- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई वृत्त, उत्तर प्रदेश।
12- समस्त अधिषासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, उत्तर प्रदेश।
13- समस्त सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई उपखण्ड, उत्तर प्रदेश।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।